



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 343/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. बृजलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर पुराना 05, नया 09 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
2. रामकरण पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.बी.एम., कुम्हारावालीढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
3. रोहिताश पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर पुराना 06, नया 09 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
4. मोहनलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.बी.एम., कुम्हारावालीढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
5. बंशीलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी निवासी चक 2 के.बी.एम., कुम्हारावालीढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
6. कृष्णलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी निवासी चक 2 के.बी.एम., कुम्हारावालीढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।

-वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।  
- प्रतिवादी
2. सरस्वती पुत्री नन्दराम पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार निवासी चक 7 आर.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. कमला पुत्री नन्दराम पत्नी चेताराम जाति कुम्हार निवासी 16 डी.पी.एन. रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला हनुमानगढ़।
4. मनोहरी देवी पुत्री नन्दराम पत्नी इन्द्र प्रकाश जाति कुम्हार निवासी चक 21-22 डी. डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. हस्ती पुत्री नन्दराम पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी चक 21-22 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. सुलोचना पुत्री नन्दराम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला हनुमानगढ़।
7. लक्ष्मीदेवी पत्नी नन्दराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.बी.एम. कुम्हारावालीढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जनलाल वर्मा वकील-वादीगण

श्री निर्मल माहेश्वरी वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 6

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 29.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी संख्या 1 को चक 2 के.बी.एम. के प.न. 136/402(35) के किला न. 9 की 0.2530 है0कमाण्ड कृषि भूमि का,
2. वादी संख्या 2 को चक 1 के.बी.एम. के प.न. 138/399(6) के किला न. 10/1 की 0.2280 है0कमाण्ड कृषि भूमि का,

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर



3. वादी संख्या 3 को चक 2 के.बी.एम. के प.न. 138/398(11) के किला न. 11/1 की 0.2280 है०कमाण्ड कृषि भूमि का,
4. वादी संख्या 4 को चक 2 के.बी.एम. के प.न. 135/402(34) के किला न. 5/1 की 0.2280 है०कमाण्ड व किला न. 5/2 की 0.0250 है०गै.मु.खाला कृषि भूमि का,
5. वादी संख्या 5 को चक 2 के.बी.एम. के प.न. 136/402(35) के किला न. 11 की 0.2530 है०कमाण्ड कृषि भूमि का,
6. वादी संख्या 6 को चक 1 के.बी.एम. के प.न. 138/399(6) के किला न. 1/3 की 0.2150 है०कमाण्ड कृषि भूमि का तथा
7. वादी संख्या 1, 3, 4, 5 को ब हिस्सा बराबर चक 3 के.एल.एम. पटवार हल्का मोधुनगर के प.न. 129/404(14) के किला न. 2/1 की 0.0130 है०कमाण्ड, किला न. 3/1 की 0.0120 है०कमाण्ड, किला न. 4/1 की 0.0060 है०अनकमाण्ड कुल 0.0310 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.01.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
सहायक अधीक्षक  
सहायक अधीक्षक  
सहायक अधीक्षक